


क्रमांक: निखामू/प्रधान/नियम/प-28/97/12

दिनांक: 18.01.12

**परिपत्र**

निदेशालय के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक: 1011-1082 दिनांक 30.12.11 जिसके द्वारा प्रधान एवं अप्रधान खनिज के खनन पट्टा एवं पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र के आवेदन पत्रों में आवेदित क्षेत्र को यदि कोई आवेदक संशोधित करना चाहता है तो उसके लिए अन्तिम तिथि 31.1.2012 निर्धारित की गई थी।

निदेशालय के उपरोक्त परिपत्र के क्रम में सभी खनि अभियंता एवं सहायक खनि अभियंताओं को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रधान एवं अप्रधान खनिज के आवेदको द्वारा किए गए संशोधित क्षेत्रों का इन्द्राज अविलम्ब डी.एम.जी. ऑन लाईन पर कर दिया जावे, क्योंकि दिनांक 31.1.2012 को आवेदित क्षेत्र की विवरण सूचि को ऑन लाईन सिस्टम में निदेशालय स्तर से लॉक कर दिया जावेगा। दिनांक 31.1.2012 तक संशोधित आवेदित क्षेत्रों का इन्द्राज ऑन लाईन पर 31.1.12 तक नहीं करने के फलस्वरूप होने वाली किसी भी कार्यवाही के लिए सम्बन्धित कार्यालय जिम्मेदार होगा।


  
निदेशक, 17/1/12  
खान एवं भूविज्ञान विभाग  
राजस्थान, उदयपुर।

क्रमांक: सम/13-100

दिनांक: 18.01.12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर/जोधपुर/जयपुर-जोन/मुख्यालय पर्यावरण एवं विकास, के०का० उदयपुर।
2. निजी सहायक (निदेशक) महोदय के० का०, उदयपुर।
3. अधीक्षक खनि अभियंता मु०-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/सतर्कता/वृत्त-जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/भीलवाडा/भरतपुर/कोटा/बीकानेर।
4. खनि अभियंता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/बून्दी-2/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजतसिटी/उदयपुर/राजसमन्द-प्रथम/राजसमन्द-2/आमेत/भीलवाडा/चित्तौडगढ/बिजौलिया/प्रतापगढ।
5. सहायक खनि अभियंता, टोंक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/बाडमेर/जालौर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/गोटन/डुंगरपूर/बांसवाडा/सलुम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहैडा।
6. प्रभारी DMG OMS के०का० उदयपुर को भेजकर लेख है कि इसे आज ही विभाग की वेब साईट पर प्रसारित करावें।
7. कार्यालय अधीक्षक/रियायती लिपिक-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/दसम/ग्याह/बारह।

  
अधीक्षण खनि अभियंता (मु०-2)